

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2599 / 2021

दिनांक : 26.11.2021

श्रीमती वर्षा आमेश (RJ1241), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, अलवर को दिनांक 01.12.2021 से 29.05.2022 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती उपासना कावट (RJ1131), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, अलवर को श्रीमती वर्षा आमेश के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, अलवर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्रीमती उपासना कावट (RJ1131), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, अलवर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

दिनांक 26.11.2021

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/28/2019/4316

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 35277 दिनांक 08.11.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती वर्षा आमेश (RJ1241), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, अलवर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, अलवर।
5. श्रीमती उपासना कावट (RJ1131), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, अलवर।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, अलवर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार